द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/98/2014

श्री संदीप सिंह ठाकुर, — **अपीलार्थी**
रामगोपाल तिवार वार्ड,
मुंगेली, जिला मुंगेली (छ0ग0)

विरूद्ध

श्रीमती सुनीता कश्यप, — **उत्तरवादी क्रं0 01**
जनसूचना अधिकारी,
महिला स्व सहायता समूह,
कार्यालय– ग्राम पंचायत सेमरकोना,
तह0 मुंगेली, जिला मुंगेली (छ0ग0)

प्रथम अपीलीय अधिकारी, — **उत्तरवादी क्रं 02**
कार्यालय–खाद्य निरीक्षक,
विकासखंड तह0 मुंगेली,
जिला मुंगेली (छ0ग0)

(आदेश पारित दिनांक : 22/09/2014)

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री संदीप सिंह ठाकुर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत (उत्तरवादी क्रं0 01) श्रीमती सुनीता कश्यप, जनसूचना अधिकारी, महिला स्व सहायता समूह, कार्यालय– ग्राम पंचायत सेमरकोना, तह0 मुंगेली, जिला मुंगेली (छ0ग0) तथा (उत्तरवादी क्रं0 02) प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय–खाद्य निरीक्षक, विकासखंड तह0 मुंगेली, जिला मुंगेली (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 4.10.2013 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 01, जनसूचना अधिकारी से **''सितम्बर 2013 की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों में संधारित की जाने वाली यूनिट पंजी (राशन कार्ड रजिस्टर) स्कंध पंजी (स्टाक रजिस्टर) एवं वितरण पंजी (विक्रय रजिस्टर) की सत्यप्रतिलिपि''** की मांग की थी।

निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने के कारण अपीलार्थी द्वारा खाद्य निरीक्षक के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 14.11.2013 प्रस्तुत गई। खाद्य निरीक्षक ने अपीलार्थी को सूचित किया कि खाद्य निरीक्षक प्रथम अपीलीय अधिकारी नहीं होने के कारण प्रथम अपील सक्षम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत करें। इससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की गई। अपीलार्थी ने अपनी द्वितीय अपील में लिखा है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है एवं यह नहीं बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी कौन है और न ही उनके द्वारा भेजे गये 75/– को पोस्टल आर्डर को वापस किया गया है।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान उभयपक्ष उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। उत्तरवादी का जवाब प्राप्त। उत्तरवादी के जवाब में लेख है कि अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी महिला स्व सहायता समूह के समक्ष न ही लिखित आवेदन दिया गया है और न ही मौखिक रूप से चाही गई

सूचना के संबंध में निवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सेमरकोना को आवेदन किया है जबकि शासकीय उचित मूल्य दुकानों का रखरखाव मॉ महामाया स्व सहायता समूह सेमरकोना द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत सेमरकोना में जानकारी उपलब्ध न होने के कारण आवेदन पत्र अंतरित भी नहीं किया गया। जिस कारण रिकार्ड व्यवस्थित क्रम में संधारित होने के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे। जवाब में लेख है कि दिनांक 12.4.2014 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपीलार्थी को जानकारी निःशुल्क प्रदान की गई है। जवाब के साथ पत्र दिनांक 11.4.14 तथा स्पीड पोस्ट की रसीद दिनांक 12.4.14 की प्रतिलिपियां संलग्न है। जिसके माध्यम से अपीलार्थी को स्टाक पंजी, वितरण पंजी, राशन कार्ड रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्रदाय करने का उल्लेख है। अपीलार्थी ने बताया कि यूनिट पंजी (राशन कार्ड रजिस्टर) स्कंध पंजी (स्टाक रजिस्टर) एवं वितरण पंजी (विक्रय रजिस्टर) की जानकारी मिली है परंतु उसमें पूरे राशन कार्डों की जानकारी नहीं है। इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि जितनी जानकारी रिकार्ड में थी वह अपीलार्थी को दी गई है।

प्रकरण के अवलोकन तथा दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट है कि वांछित जानकारी जो भी रिकार्ड में उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को मिल गई है। अपीलार्थी के अनुसार यदि कई राशन कार्डों की जानकारी संधारित होनी थी और नहीं हुई है तो यह एक अलग विषय है।

एक अन्य बात जो स्पष्ट हुई है वह यह है कि प्रथम अपील खाद्य निरीक्षक को की गई थी। जो प्रथम अपीलीय अधिकारी नहीं है। अधिनियम में प्रथम अपील आवेदन का प्रावधान नहीं है। अतः चूंकि प्रथम अपील ही सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष नहीं की गई इसलिए उसके निराकरण का प्रश्न नहीं है और अपीलार्थी को द्वितीय अपील का आधार पर भी प्राप्त नहीं होता। अतः यह द्वितीय अपील अस्वीकार की जाती है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त